प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 10.06.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मगरु पुत्र शिवनाथ निवासी झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद सिंह, का0 रंजन यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 21 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 84 वाहनों से 97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 84 वाहनों से 97,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामले में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 10.06.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)एफ0टी0सी0 / ए0सी0जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 1232/2014 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 ताहिर पुत्र मो0 हसन अंसारी निवासी मोतीनगर पूर्वी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को वादी श्री शशिभूषण पुत्र वीरेप्रसाद चौधरी निवासी जिलापरिषद आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद की मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग में धारा 379 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बितायी अवधि व 1000रु0 के अर्थदण्ड तथा धारा 411 भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बितायी अवधि व 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।